राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क–2/19 जयपुर, दिनांकः 24 FEB 2020

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः– रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमशः क्रमांक एफः 15(24)कार्मिक/क–2/75 दिनांक 20.11.1997 एवं एफः 7(2)कार्मिक/क–2/19 दिनांक 29.03.2019 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट WWW.DOP.Rajasthan.Gov.IN पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी/पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धांत जारी किये गये है।

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है तथा रोस्टर पंजिकाएं भी संधारित नहीं की जा रही है। चूंकि उक्त सिद्धांत/निर्देश विभिन्न वर्गों के आरक्षण प्रतिशत को त्रुटिरहित संचालित किये जाने में सहायक के रूप में कार्य करते है, लेकिन रोस्टर पंजिका के संधारण के अभाव में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समय आरक्षण प्रावधानों की पालना किये जाने में समस्याएं आती है तथा न्यायिक विवाद भी उत्पन्न होते है, जिसके मध्यनजर यह आवश्यक है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार रोस्टर पंजिकाओं का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाये। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए पृथक–पृथक रोस्टर पंजिकाएं संधारित की जानी है। एक सामान्य भ्रान्ति यह है कि पद आधारित (Post based) आरक्षण व्यवस्था लागू होने के पश्चात् रोस्टर पंजिका संधारित किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समय किसी भी वर्ग के पदों की गणना उस संवर्ग में उस वर्ग के कुल पदों एवं विद्यमान प्रतिनिधित्व के आधार पर की जानी है। यह धारणा उचित नहीं हैं। समय–समय पर कतिपय वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान प्रावधित होने के फलस्वरूप, प्रचलित रोस्टर बिन्दु भी परिवर्तित हो जाते है। इसके अलावा विभिन्न क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों यथा महिला, भू.पू. सैनिक आदि के लिए आरक्षण रिक्ति आधारित (Vacancy based) होता है।

रोस्टर उन सभी व्यक्तियों का चल लेखा (Running Account) बनाए रखेगा जो सेवा में सम्मिलित होते हैं। अतः रोस्टर पंजिका संधारित होने पर किसी संवर्ग में किसी समय विशेष पर कार्यरत अधिकारियों के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति एक ही स्थान पर सुस्पष्ट रूप से उपलब्ध होना संभव होगा।

तदनुसार समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु रोस्टर पंजिका के प्रारूप निम्नानुसार जारी किये जा रहे है :

<u>रोस्टर पंजिका</u>

1. पदनामः
2. भर्ती की रीतियां: सीधी (DR)/पदोन्नति (PR) के माध्यम से
3. कॉडर में पदों की संख्या (अर्थात् कॉडर स्ट्रेन्थ):
4. आरक्षण का प्रावधित प्रतिशतः अ.ज.जा (SC)........,अ.जा (ST).........,पि.व (BC).......,
   अति.पि.व (MBC).........,आ.क.व (EWS) {सीधी भर्ती में};
   अ.ज.जा (SC)........ एवं अ.जा (ST)......... {पदोन्नति भर्ती में}

<u>सीधी भर्ती के लिए:</u>

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व/आ.क.व के लिए आरक्षित हैं	नियुक्त व्यक्ति का नाम तथा नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आ.क.व. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सीधी भर्ती में 20 पदों तक के लघु संवर्गों में एल–शेप रोस्टर (L-Shape roster) लागू होगा, जिसका प्रपत्र भी उपर्युक्तानुसार ही होगा तथापि रोस्टर पंजिका में प्रतिस्थापन बिन्दुओं (Replacement points) अर्थात क्षैतिज बिन्दुओं को अन्तिम प्रारम्भिक बिन्दु के पश्चात् लम्बवत् ही दर्शाया जायेगा। उदाहरणार्थ सीधी भर्ती के 10 पदों के संवर्ग हेतु एल–शेप रोस्टर (L-Shape roster) निम्नानुसार संधारित किया जायेगा :

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व/आ.क.व के लिए आरक्षित हैं	नियुक्त व्यक्ति का नाम तथा नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आ.क.व. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	अनारक्षित **(UR)**						
			2	अनारक्षित **(UR)**						
			3	अनारक्षित **(UR)**						
			4	अनारक्षित **(UR)**						
			5	पिछड़ा वर्ग **(BC)**						

			6	अनारक्षित (UR)						
			7	अ.जा (SC)						
			8	अनारक्षित (UR)						
			9	अ.ज.जा (ST)						
			10	पिछड़ा वर्ग (BC)						
			प्रतिस्थापन बिन्दु							
			प्रथम	आ.क.व. (EWS)						
			द्वितीय	अनारक्षित (UR)						
			तृतीय	अ.जा. (SC)						
			चतुर्थ	अनारक्षित (UR)						
			पंचम	पिछड़ा वर्ग (BC)						
			षष्ठम	अनारक्षित (UR)						
			सप्तम	अ.ज.जा (ST)						

<u>पदोन्नति से भर्ती के लिए:</u>

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./ अ.ज.जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

पदोन्नति में केवल अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) को आरक्षण देय होने के कारण 8 पदों तक के लघु संवर्गों में एल–शेप रोस्टर (L-Shape roster) लागू होगा, जिसका प्रपत्र भी उक्तानुसार ही रहेगा तथापि प्रतिस्थापन बिन्दु (replacement points) अर्थात् क्षैतिज बिन्दु रोस्टर के अन्तिम प्रारम्भिक बिन्दु के पश्चात् लम्बवत रूप से दर्शाये जायेंगे। उदाहरणार्थ तीन पदों के कॉडर की पदोन्नति में रोस्टर पंजिका का संधारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./ अ.ज.जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	अनारक्षित (UR)						
			2	अनारक्षित (UR)						
			3	अनारक्षित (UR)						

			प्रतिस्थापन बिन्दु							
			प्रथम	अनारक्षित (UR)						
			द्वितीय	अनारक्षित (UR)						
			तृतीय	अनारक्षित (UR)						
			चतुर्थ	अ.जा. (SC)						
			पंचम	अनारक्षित (UR)						
			षष्ठम	अ.ज.जा (ST)						

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों/संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने विभाग में समस्त संवर्गों हेतु उपर्युक्त निर्दिष्टानुसार रोस्टर पंजिकाओं का संधारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

19/2020

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क–2/19 जयपुर, दिनांक: 24 FEB 2020

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः– सीधी भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग (MBC), आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) एवं महिला आरक्षण रोस्टर के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफः 7(2)कार्मिक/क–2/19 दिनांक 29.03.2019 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट WWW.DOP.Rajasthan.Gov.IN पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर 100 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए 100 बिन्दु रोस्टर (100 point roster) तथा 8 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए 8 बिन्दु रोस्टर (8 point roster) निर्धारित किये जाने के साथ–साथ ही विभिन्न क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों यथा महिला/भू.पू. सैनिक/खिलाड़ियों/अराजपत्रित कर्मचारी के लिए भी रोस्टर बिन्दु निर्दिष्ट किये गये है।

कतिपय विभागों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि 8 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती के आरक्षण मॉडल रोस्टर में सीधी भर्ती के ऐसे पद जिनकी संवर्ग संख्या 10 या 10 पदों से कम हैं, में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) तथा जहां संवर्ग की संख्या 20 या 20 पदों से कम हैं, में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को आरक्षण प्रतिनिधित्व (reservation representation) सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

अतः उक्त स्थिति के आलोक में पूर्वोक्त परिपत्र दिनांक 29.03.2019 के उपाबन्ध–II–क में उल्लेखित 8 पदों (8 point roster) तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण के मॉड़र रोस्टर को 20 पदों (20 point roster) के मॉडल रोस्टर से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार नवीनतम मॉडल रोस्टर सुलभ संदर्भार्थ 'उपाबन्ध–II–क' के रूप में परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

इसी क्रम में उक्त परिपत्र में यथानिर्धारित महिला आरक्षण रोस्टर के संबंध में स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 22.12.2015 के द्वारा विविध सेवा नियमों में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गवार 30 प्रतिशत प्रावधित किया गया है, जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में आरक्षण होगा।

उपर्युक्त परिपत्र में महिलाओं के लिए प्रावधित रोस्टर बिन्दु नियत अभ्यांश के अनुरूप निर्दिष्ट करते समय रोस्टर बिन्दुओं की पहचान महिला, विधवा व परित्यक्ता के लिए पृथक–पृथक किये जाने से महिलाओं के लिए आरक्षित रोस्टर बिन्दुओं को संचालित किये जाने में विभागों द्वारा कठिनाई महसूस की जा रही है।

अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आरक्षण को सुसंचालित करने के लिए, जब से महिलाओं के लिए आरक्षण प्रारम्भ किया गया था, तब कि स्थिति को देखते हुए प्रवर्गवार (category wise) पृथक–पृथक रोस्टर संधारित किये जायेंगे। सभी श्रेणियों के लिए पृथक–पृथक रोस्टर आवश्यक हैं क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण प्रवर्गानुसार है। रोस्टर उन सभी व्यक्तियों का चल लेखा (Running Account) बनाए रखेगा जो सेवा में सम्मिलित होते हैं। अतः रोस्टर पंजिका संधारित होने पर किसी संवर्ग में किसी समय विशेष पर कार्यरत अधिकारियों के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति एक ही स्थान पर सुस्पष्ट रूप से उपलब्ध होना संभव होगा। इस हेतु मॉडल रोस्टर पंजिका का प्रारूप परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

उदाहरणार्थ यदि अधीनस्थ लेखा संवर्ग में 66 रिक्तियां है। जिसमें यदि अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) दोनों ही श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियां 12–12 है। यदि कोई उक्त 12 रिक्तियों में से महिलाओं हेतु प्रावधित 30 प्रतिशत आरक्षण की गणना करता है, तो वह 3.6 प्राप्त करेगा, इससे यह असमंजस होगा कि रिक्तियां 3 माने या 4, हालांकि, महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण करने के लिए यह सही तरीका नहीं है। किसी श्रेणी विशेष में महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों का पता लगाने के लिए, उस वर्ग के व्यक्तियों के लिए की गई नियुक्तियों की इतिवृत्त (History) को देखना होगा, जैसा कि निर्धारित रोस्टर में संधारित किया गया हो। जैसे पिछड़ा वर्ग (BC) श्रेणी के मामले में, यदि जब से महिलाओं के लिए आरक्षण प्रारम्भ किया गया था, तब से यदि कुल 11 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग में नियुक्ति दी गई है, तो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित बिन्दुओं की संख्या ज्ञात करने हेतु उक्त वर्ग की 12 रिक्तियों के लिए रोस्टर बिन्दु 12 से 23 देखे जाने चाहिए जिससे ज्ञात होगा कि रोस्टर बिन्दु क्रमशः 14, 17 और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उक्त 12 पदों में से 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। इसी प्रकार, यदि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के मामले में, जबसे महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया गया था, तब से यदि 9 अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग में नियुक्ति दी गई है तो फिर, इस वर्ग की 12 रिक्तियों के लिए रोस्टर बिन्दु 9 से आगे अर्थात् 10 से 21 तक के रोस्टर बिन्दुओं को देखा जाना चाहिए। तदनुसार चार रोस्टर बिन्दु यथा 10 (विधवा–1), 14, 17 और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के मामले में 12 अनुसूचित जाति के पदों में से 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

उपर्युक्तानुसार महिलाओं के रोस्टर बिन्दुओं में संशोधन के प्रयोजनार्थ परिपत्र दिनांक 29.03.2019 के उपाबन्ध–II को भी प्रतिस्थापित किया जाता है। तदनुसार नवीनतम मॉडल रोस्टर 'उपाबन्ध–II' के रूप में परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों/संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

17/2020

उपाबन्ध–II–क

20 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण का मॉडल रोस्टर :

संवर्ग संख्या	प्रारम्भिक भर्ती	प्रतिस्थापन संख्या																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	UR	UR	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC
2	UR	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC	
3	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC		
4	UR	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC			
5	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC				
6	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC					
7	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC						
8	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC							
9	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC								
10	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC									
11	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC										
12	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC											
13	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC												
14	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC													
15	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC														
16	UR	ST	UR	SC	BC	MBC															
17	ST	UR	SC	BC	MBC																
18	UR	SC	BC	MBC																	
19	SC	BC	MBC																		
20	BC	MBC																			

टिप्पणः 1. 2 से 20 पदों के संवर्गों के लिए रोस्टर स्तंभ 'संवर्ग संख्या' के अधीन प्रविष्टि 1 से अन्तिम पद तक पढा जाना है और फिर क्षैतिज पंक्ति में अर्थात् 'L' की तरह अन्तिम प्रविष्टि तक क्षैतिज रूप में।

2. संवर्ग के समस्त पद स्तंभ 'प्रारम्भिक भर्ती' के अधीन दर्शाये गये प्रवर्गों के लिए चिन्हित किए जाने हैं जबकि प्रारम्भिक रूप में पद, चिन्हित प्रवर्गों से भरे जाने होंगे। साथ ही संवर्ग में किसी भी पद के प्रति प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम में होगा जैसा कि संवर्ग के अन्तिम पद के सामने क्षैतिज रूप से दर्शाया गया है।

टिप्पणः चिन्हित प्रवर्ग जो अनुसूची में दर्शाया है, निम्नवत है :–

1	UR	Unreserved (अनारक्षित)
2	SC	Scheduled Castes (अनुसूचित जाति)
3	ST	Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति)
4	BC	Backward Classes (पिछड़ा वर्ग)
5	MBC	More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
6	EWS	Economically Weaker Sections (आर्थिक कमजोर वर्ग)

महिला आरक्षण के लिए रोस्टर पंजिका

1. पदनाम :
2. संवर्ग में पदों की संख्या :
3. वर्ग : अ.जा. (SC) या अ.ज.जा. (ST) या पि.व. (BC) या अति.पि.व (MBC) या आ.क.व. (EWS) या अनारक्षित (UR)

रोस्टर संख्या	महिला	रोस्टर संख्या	महिला	रोस्टर संख्या	महिला
1.		35.		69.	
2.		36.		70.	W-15
3.		37.	W-8	71.	
4.	W-1	38.		72.	
5.		39.		73.	
6.		40.	W-9	74.	Widow-6
7.	W-2	41.		75.	
8.		42.		76.	
9.		43.		77.	W-16
10.	Widow-1	44.	Widow-4	78.	
11.		45.		79.	
12.		46.		80.	W-17
13.		47.	W-10	81.	
14.	W-3	48.		82.	
15.		49.		83.	
16.		50.	Divorcee-1	84.	Widow-7
17.	W-4	51.		85.	
18.		52.		86.	
19.		53.		87.	W-18
20.	W-5	54.	W-11	88.	
21.		55.		89.	
22.		56.		90.	W-19
23.		57.	W-12	91.	
24.	Widow-2	58.		92.	
25.		59.		93.	
26.		60.	Widow-5	94.	Widow-8
27.	W-6	61.		95.	
28.		62.		96.	
29.		63.		97.	W-20
30.	W-7	64.	W-13	98.	
31.		65.		99.	
32.		66.		100.	Divorcee-2
33.		67.	W-14		
34.	Widow-3	68.			

टिप्पण :

1. अ.जा. (**SC**), अ.ज.जा. (**ST**), पि.व. (**BC**), अति.पि.व (**MBC**), आ.क.व. (**EWS**) और अनारक्षित (**UR**) श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए 6 अलग–अलग रोस्टर पंजिकाएं संधारित की जायेंगी।
2. किसी भी भर्ती में चयनित महिला उम्मीदवारों को महिलाओं के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के विरूद्ध दर्शाया जायेगा।

उपाबन्ध-II

राज्य/अधीनस्थ/मंत्रालयिक एंवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आर्थिक कमजोर वर्ग/महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/खिलाडियों/अराजपत्रित कर्मचारी को सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का मॉडल रोस्टर

क्रम संख्या	अनुसूचित जाति 16%	अनुसूचित जनजाति 12%	पिछड़ा वर्ग 21%	अति पिछड़ा वर्ग 5%	आर्थिक कमजोर वर्ग 10%	प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किए जाने चाहिए	महिला वर्ग (महिला–30%, के एक तिहाई, विधवा एवं परित्यक्ता को 8:2 के अनुपात में)	भूतपूर्व सैनिक			खिलाड़ियों हेतु 2%	असजपत्रित कर्मचारी 7%
								राज्य सेवा 5%	अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा 12½%	चतुर्थ श्रेणी सेवा 15%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0.16	0.12	0.21	0.05	0.1	UR-1						
2	0.32	0.24	0.42	0.1	0.2	UR-2						
3	0.48	0.36	0.63	0.15	0.3	UR-3						
4	0.64	0.48	0.84	0.2	0.4	UR-4	W-1					
5	0.8	0.6	1.05	0.25	0.5	BC-1						
6	0.96	0.72	1.26	0.3	0.6	UR-5						
7	1.12	0.84	1.47	0.35	0.7	SC-1	W-2			Ex-serv.-1		
8	1.28	0.96	1.68	0.4	0.8	UR-6			Ex-serv.-1			
9	1.44	1.08	1.89	0.45	0.9	ST-1						
10	1.6	1.2	2.1	0.5	1	BC-2	Widow-1					
11	1.76	1.32	2.31	0.55	1.1	EWS-1						
12	1.92	1.44	2.52	0.6	1.2	UR-7						
13	2.08	1.56	2.73	0.65	1.3	SC-2						
14	2.24	1.68	2.94	0.7	1.4	UR-8	W-3			Ex-serv.-2		
15	2.4	1.8	3.15	0.75	1.5	BC-3						NGE-1
16	2.56	1.92	3.36	0.8	1.6	UR-9			Ex-serv.-2			
17	2.72	2.04	3.57	0.85	1.7	ST-2	W-4					
18	2.88	2.16	3.78	0.9	1.8	UR-10						
19	3.04	2.28	3.99	0.95	1.9	SC-3						
20	3.2	2.4	4.2	1	2	BC-4	W-5	Ex-serv.-1		Ex-serv.-3		
21	3.36	2.52	4.41	1.05	2.1	MBC-1						

22	3.52	2.64	4.62	1.1	2.2	EWS-2						
23	3.68	2.76	4.83	1.15	2.3	UR-11						
24	3.84	2.88	5.04	1.2	2.4	BC-5	Widow-2		Ex-serv. 3			
25	4	3	5.25	1.25	2.5	ST-3						
26	4.16	3.12	5.46	1.3	2.6	SC-4						
27	4.32	3.24	5.67	1.35	2.7	UR-12	W-6			Ex-serv.-4		
28	4.48	3.36	5.88	1.4	2.8	UR-13						
29	4.64	3.48	6.09	1.45	2.9	BC-6						NGE-2
30	4.8	3.6	6.3	1.5	3	EWS-3	W-7					
31	4.96	3.72	6.51	1.55	3.1	UR-14						
32	5.12	3.84	6.72	1.6	3.2	SC-5			Ex-serv. 4			
33	5.28	3.96	6.93	1.65	3.3	UR-15						
34	5.44	4.08	7.14	1.7	3.4	BC-7	Widow-3			Ex-serv.-5		
35	5.6	4.2	7.35	1.75	3.5	ST-4						
36	5.76	4.32	7.56	1.8	3.6	UR-16						
37	5.92	4.44	7.77	1.85	3.7	UR-17	W-8					
38	6.08	4.56	7.98	1.9	3.8	SC-6						
39	6.24	4.68	8.19	1.95	3.9	BC-8						
40	6.4	4.8	8.4	2	4	MBC-2	W-9	Ex-serv.-2	Ex-serv.-5	Ex-serv.-6		
41	6.56	4.92	8.61	2.05	4.1	EWS-4						
42	6.72	5.04	8.82	2.1	4.2	ST-5						
43	6.88	5.16	9.03	2.15	4.3	BC-9						NGE-3
44	7.04	5.28	9.24	2.2	4.4	UR-18	Widow-4					
45	7.2	5.4	9.45	2.25	4.5	SC-7						
46	7.36	5.52	9.66	2.3	4.6	UR-19						
47	7.52	5.64	9.87	2.35	4.7	UR-20	W-10			Ex-serv.-7		
48	7.68	5.76	10.08	2.4	4.8	BC-10			Ex-serv.-6			
49	7.84	5.88	10.29	2.45	4.9	UR-21						
50	8	6	10.5	2.5	5	ST-6	Divorcee-1				Sports Per.-1	
51	8.16	6.12	10.71	2.55	5.1	EWS-5						
52	8.32	6.24	10.92	2.6	5.2	SC-8						
53	8.48	6.36	11.13	2.65	5.3	BC-11						

54	8.64	6.48	11.34	2.7	5.4	UR-22	W-11			Ex-serv.-8		
55	8.8	6.6	11.55	2.75	5.5	UR-23						
56	8.96	6.72	11.76	2.8	5.6	UR-24			Ex-serv.-7			
57	9.12	6.84	11.97	2.85	5.7	SC-9	W-12					
58	9.28	6.96	12.18	2.9	5.8	BC-12						NGE-4
59	9.44	7.08	12.39	2.95	5.9	ST-7						
60	9.6	7.2	12.6	3	6	EWS-6	Widow-5	Ex-serv.-3		Ex-serv.-9		
61	9.76	7.32	12.81	3.05	6.1	MBC-3						
62	9.92	7.44	13.02	3.1	6.2	BC-13						
63	10.08	7.56	13.23	3.15	6.3	SC-10						
64	10.24	7.68	13.44	3.2	6.4	UR-25	W-13		Ex-serv.-8			
65	10.4	7.8	13.65	3.25	6.5	UR-26						
66	10.56	7.92	13.86	3.3	6.6	UR-27						
67	10.72	8.04	14.07	3.35	6.7	BC-14	W-14			Ex-serv.-10		
68	10.88	8.16	14.28	3.4	6.8	ST-8						
69	11.04	8.28	14.49	3.45	6.9	SC-11						
70	11.2	8.4	14.7	3.5	7	EWS-7	W-15					
71	11.36	8.52	14.91	3.55	7.1	UR-28						
72	11.52	8.64	15.12	3.6	7.2	BC-15			Ex-serv.-9			NGE-5
73	11.68	8.76	15.33	3.65	7.3	UR-29						
74	11.84	8.88	15.54	3.7	7.4	UR-30	widow-6			Ex-serv.-11		
75	12	9	15.75	3.75	7.5	ST-9						
76	12.16	9.12	15.96	3.8	7.6	SC-12						
77	12.32	9.24	16.17	3.85	7.7	BC-16	W-16					
78	12.48	9.36	16.38	3.9	7.8	UR-31						
79	12.64	9.48	16.59	3.95	7.9	EWS-8						
80	12.8	9.6	16.8	4	8	MBC-4	W-17	Ex-serv.-4	Ex-serv.-10	Ex-serv.-12		
81	12.96	9.72	17.01	4.05	8.1	BC-17						
82	13.12	9.84	17.22	4.1	8.2	SC-13						
83	13.28	9.96	17.43	4.15	8.3	UR-32						
84	13.44	10.08	17.64	4.2	8.4	ST-10	Widow-7					
85	13.6	10.2	17.85	4.25	8.5	UR-33						

86	13.76	10.32	18.06	4.3	8.6	BC-18						NGE-6
87	13.92	10.44	18.27	4.35	8.7	UR-34	W-18			Ex-serv.-13		
88	14.08	10.56	18.48	4.4	8.8	SC-14			Ex-serv.-11			
89	14.24	10.68	18.69	4.45	8.9	UR-35						
90	14.4	10.8	18.9	4.5	9	EWS-9	W-19					
91	14.56	10.92	19.11	4.55	9.1	BC-19						
92	14.72	11.04	19.32	4.6	9.2	ST-11						
93	14.88	11.16	19.53	4.65	9.3	UR-36				Ex-serv.-14		
94	15.04	11.28	19.74	4.7	9.4	SC-15	Widow-8			Ex-serv.-14		
95	15.2	11.4	19.95	4.75	9.5	BC-20						
96	15.36	11.52	20.16	4.8	9.6	MBC-5			Ex-serv.-12			
97	15.52	11.64	20.37	4.85	9.7	ST-12	W-20					
98	15.68	11.76	20.58	4.9	9.8	EWS-10						
99	15.84	11.88	20.79	4.95	9.9	SC-16						
100	16	12	21	5	10	BC-21	Divorcee-2	Ex-serv.-5		Ex-serv.-15	Sports Per.-2	NGE-7

नोट– इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्षेतिज आरक्षण बिन्दुओं में ऐसे भी बिन्दु हैं जो अनु.जाति,, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति. पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित बिन्दुओं से टकराते हैं परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है क्योंकि रोस्टर बिन्दु लम्बवत हो या क्षैतिज प्रवर्ग विशेष के लिये पात्रता/गिनती सुनिश्चित करने के लिये तय किये गये हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि बिन्दु सं.–20 अति पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित है इसी बिन्द पर महिला एवं भूतपूर्व सैनिक भी आते हैं जो क्षैतिज हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक को 20वां बिन्दु दिया जावें और वह भूतपूर्व सैनिक भी हो। अतः तात्पर्य यह है कि 20 पदों में 04 महिलाओं के पद बनते हैं और राज्य सेवा में एक और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 3 पद भूतपूर्व सैनिक के बनते हैं। ये चार महिलाऐं किसी भी वर्ग की हो सकती हैं और भूतपूर्व सैनिक भी किसी भी वर्ग का हो सकता है। ये जिस किसी भी वर्ग के (सामान्य/अजा/अजजा/पि.व./अति पि.व./आर्थिक कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उनमें इनको समायोजित कर दिया जावेगा।

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 14(36)कार्मिक/क–2/2007 पार्ट–I जयपुर, दिनांकः [stamp] DEC 2021

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजन को आरक्षण देने के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.8.2019 के द्वारा दिव्यांगजनों (विशेष योग्यजनों) (Persons with Disabilities) को सीधी भर्तीयों में आरक्षण देने के लिए रोस्टर बिन्दु निर्धारित करनें एवं रोस्टर पंजिका संधारित करनें के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अधिसूचना क्रमांक प. (10)एस ए पी/एक्ट/15374 दिनांक 14 अक्टूबर 2021, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.10.21 को हुआ है, द्वारा दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक संवर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार पर दिव्यांगजनों को पदोन्नति में भी आरक्षण देय है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में यह नवीन निर्देश जारी किय जा रहे है।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित दिव्यांगजन की प्रत्येक श्रेणी को एक–एक प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार देय हैः–

(अ) दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि।
(ब) श्रवण बाधित।
(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मॉसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन–निःशक्तता
(द) (1) ऑटिज्म, बौद्विक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता।
(2) बहुविकलांगता उपरोक्त ग्रुप–अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का ह्रास एवं दृष्टि बाधित सहित।

रिक्तियों का उक्त आरक्षण क्षैतिज माना जायेगा और बैंचमार्क दिव्यांगजन के लिए रिक्तियां एक अलग वर्ग के रूप में संधारित की जावेगी।

2. **दिव्यांगजन प्रमाण–पत्रः–** दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण – पत्र आवश्यक होगा। सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति होगा।

56/2021

3. **आरक्षण हेतु पदों का चिन्हीकरण एवं आरक्षण में छूटः—**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.1.2021 द्वारा निःशक्तता की विभिन्न श्रेणियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का चिन्हीकरण किया गया है। राज्य सरकार में पदों की भर्ती के समय दिव्यांगजन हेतु पद आरक्षित करने के लिए उक्त अधिसूचना एवं समय—समय पर अद्यतन अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया जायेगा तथा इनमें वर्णित पदों की भर्ती में दिव्यांगजन हेतु पद आरक्षित किये जायेगे। सामान्यतया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिन्हित् पदों को दिव्यांगजन आरक्षण से मुक्त नही किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी पद का पदनाम भारत सरकार के पदनाम से भिन्न हो या कोई पद भारत सरकार के किसी विभाग में अस्तित्व में नहीं हो तो राज्य में किसी समकक्ष श्रेणी के पद को चिन्हित करने के लिए प्रकरण राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के अन्तर्गत गठित समिति को संदर्भित किया जायेगा। उक्त समिति किसी पद विशेष की कार्य की प्रकृति और पद के दायित्व के आधार पर समकक्ष पद चिन्हित करेगी।

यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से किसी कार्य अथवा कतिपय पद से संबंधित कार्यों को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा इसका पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। निदेशक, विशेष योग्यजन द्वारा प्रकरण में छूट पर विचार किये जाने हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के तहत् गठित समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार कर पद विशेष के लिए सीधी भर्ती में दिव्यांगजन की किसी विशेष श्रेणी अथवा सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण से छूट प्रदान करेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई पद विशेष योग्यजन की किसी एक ही श्रेणी के लिए उपयुक्त होना चिन्हित किया गया है तो उस स्थिति में विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित सभी 4 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन की उसी श्रेणी से भरे जायेगे।

4. **रिक्तियों का अग्रेषण एवं अन्तः श्रेणी परिवर्तन** :—जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। अन्तर परिवर्तन करने के पश्चात् भी यदि किसी रिक्ति हेतु कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।

5. **अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनः—** जहां कोई पद दिव्यांगजन की सभी श्रेणिया या एक श्रेणी के लिए उपयुक्त हो तो उस पद की भर्ती में दिव्यांगजन के लिए रिक्ति आरक्षित नही होने पर भी बिना आरक्षण का लाभ लिए स्वयं की योग्यता पर चयनित होने की पात्रता रखने पर विशेष योग्य जन को उस पद के लिए प्रतियोगिता और चयन से वंचित

56/2021

नही किया जा सकता है। मापदण्ड़ों में शिथिलन के बिना स्वयं की योग्यता से चयनित ऐसे विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को रोस्टर में अनारक्षित बिन्दुओं के विरूद्ध दर्शाया जायेगा तथा भविष्य में भर्ती के समय विशेष योग्यजन के लिए उपलब्ध होने वाली आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा।

6. **दिव्यांगजन को सीधी भर्ती में निम्न रियायतें देय होगीः –**
   (1) आयु सीमा– सीधी भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष का शिथिलन देय होगा। आयु सीमा में यह शिथिलन नियमों में विभिन्न श्रेणियों में लंबवत व क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों को देय शिथिलन के अतिरिक्त होगा।
   (2) सेवा नियमों में जहॉ कही भी किसी भी पेपर के लिए न्यूनतम अर्हता/ उत्तीर्णाक निर्धारित है, दिव्यांगजन को उसमें 5 % की रियायत होगी।

7. **आरक्षण की गणना की पद्धतिः–**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रयोजन हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 5 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के संवर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण संदर्भित दिव्यांगजनों को देय होगा। दिव्यांगजन को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति में जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित 4 प्रतिशत आरक्षण की गणना किसी सेवा संवर्ग में कुल पदों की संख्या को आधार पर मानते हुए की जायेगी।

   उक्त अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत चिन्हित निःशक्तजन के लिए किया गया आरक्षण एक क्षैतिज आरक्षण होगा और संदर्भित निःशक्तजन के लिए निर्धारित पद विशिष्ट प्रवर्ग के रूप में संचालित होगा।

8. **पदोन्नति में आरक्षणः–** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021, जिसका राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.10.2021 को प्रकाशन हुआ है। अतः यह अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 को प्रभावी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2021–22 में किन्ही पदों की विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित नहीं होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है, तो अब उक्त अधिसूचना के प्रावधान के अन्तर्गत बैंचमार्क दिव्यांगजन को पदोन्नति में उक्तानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा परन्तु जिन विभागों द्वारा दिनांक 21.10.2021 से पूर्व दिव्यांगजन को पदोन्नति में बिना आरक्षण देते हुए विभागीय पदोन्नति समितियॉ आयोजित की जा चुकी है, इन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा अर्थात ऐसी डी.पी.सी को रिव्यू नहीं किया जावेगा।

9. **रोस्टर का संधारण :–**दिव्यांगजन के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग–अलग रोस्टर संधारित किया जायेगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.8.2019 के निर्देशानुसार रोस्टर रजिस्टर सीधी भर्ती की भांति ही पदोन्नति में भी 100 अंकों का चक्र होगा। प्रत्येक चक्र 4 ब्लॉक में विभाजित किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:–

प्रथम ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 01 से 25
द्वितीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 26 से 50
तृतीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 51 से 75

Gwh

56/2021

चतुर्थ ब्लॉक : रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 76 से 100

रोस्टर रजिस्टर के क्रम सं. 1, 26, 51 एवं 76 वाले पद सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों में दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आधार पर आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन हेतु संलग्न प्रपत्र 'अ' में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिका का संधारण किया जायेगा।

10. **निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सम्पर्क अधिकारी :–**प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन आरक्षण की अनुपालना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा विभाग के सभी सेवा संवर्गो में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाई जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा दिव्यांगजन हेतु रोस्टर पंजिका भी संधारित करवाई जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आरक्षण रोस्टर पंजिका का संधारण सही तरीके से किया जा रहा है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

सभी विभागों द्वारा दिव्यांगजन हेतु 4 प्रतिशत आरक्षण हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

राज्यपाल की आज्ञा से
30/XI/21
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. समस्त अध्यक्ष/सचिव, आयोग निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकारण।
8. निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

56/2021

प्रपत्र-'अ'

विशेष योग्यजन हेतु रोस्टर पंजिका

(विभिन्न श्रेणियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण)

ब्लॉक	आरक्षित रोस्टर बिन्दु	विशेष योग्यजन जनश्रेणी जिसके लिए आरक्षित है	भर्ती वर्ष	चयनित व्यक्ति का नाम	अग्रेषित आरक्षण (यदि कोई है)	टिप्पणी
1-25	01					
26-50	26					
51-75	51					
76-100	76					

नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 14(36)कार्मिक/क–2/2007 पार्ट–I जयपुर, दिनांकः 10/08/2022

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

–:संशोधित परिपत्र:–

विषयः–सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजन को आरक्षण देने के संबंध में।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र 01.12.2021 के बिन्दु संख्या (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(4) **रिक्तियों का अग्रेषण, अन्तः परिवर्तन तथा विचारणीय सीमा (ZOC)** :– दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त बैंचमार्क कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर उक्त पदों को भरने/अग्रेषित किये जाने के संबंध में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाऐगी :

(क) <u>सीधी भर्ती</u> :–जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता हैं, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि आगामी वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता हैं तो उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भरा जा सकेगा।

(ख) <u>पदोन्नति</u> :– पदोन्नति द्वारा चयन पर विचार किये जाने पर दिव्यांगजन आरक्षण हेतु आरक्षित रिक्तियों को सामान्य विचारण सीमा द्वारा भरा जायेगा। सामान्य विचारण सीमा में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर विचारण सीमा को कुल रिक्तियों के 7 गुना तक बढाया जा सकेगा। 7 गुना विचारण सीमा में भी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रोस्टर बिन्दु पर विशिष्ट बैंचमार्क दिव्यांगजन का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तःपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा।

.........जारी 2 पर

49/2022

अन्तःपरिवर्तन के पश्चात भी कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्ति को सामान्य प्रक्रिया से भरते हुये दिव्यांगजन हेतु निर्धारित बैंचमार्क के आरक्षण को अग्रेषित किया जायेगा अर्थात आगामी वर्ष में दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उपलब्ध होने वाली रिक्तियों में उसे पदोन्नत कर दिया जायेगा। आरक्षित रोस्टर बिन्दु पर विशिष्ट बैंचमार्क दिव्यांगजन का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्तःपरिवर्तन कर भरे जाने पर अनुपलब्ध दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी का आगामी पदोन्नति वर्ष में दिव्यांगजन हेतु उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध प्रथमतः विचार किया जायेगा।

विभागीय पदौन्नति समिति (डीपीसी) के बैठक कार्यवाही विवरण में इस संबंध में स्पष्ट अंकन भी किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

5/8/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव।
4. मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
6. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
9. समस्त अध्यक्ष/सचिव, आयोग निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण।
10. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

49/2022

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–प. 5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट II जयपुर, दिनांक 12/12/2022

—: परिपत्र :—

विषय :— राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत राज्य की विभिन्न सेवाओं के सीधी भर्ती के पदों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है :—

राज्य सेवा — 5 %
अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा — 12.5 %
चतुर्थ श्रेणी सेवा — 15 %

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 जारी होने से पूर्व भूतपूर्व सैनिक कोटे में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणी (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) में ही समायोजित किया जाता था।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पालना में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 (संलग्न) द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सेवाओं की सीधी भर्ती में देय क्षैतिज आरक्षण को प्रवर्गवार प्रावधित कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया गया हैं। अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 लागू होने के पश्चात राज्य में सीधी भर्ती के लिए जारी होने वाली विज्ञप्तियों हेतु भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों की गणना प्रवर्गवार करते हुए, अर्थना विज्ञापित की जायेगी। इस हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार प्रवर्गवार (Category wise) पृथक–पृथक रोस्टर पंजिका संधारित की जावें। इससे संबंधित मॉडल रोस्टर पंजिका का प्रारूप संलग्न है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता हैं कि उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
10/12/22
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

72/2022

सीधी भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोस्टर पंजिका

1. पदनाम
2. संवर्ग में पदों की संख्या:
3. वर्ग: अ.जा (SC) या अ.ज.जा. (ST) या पि.व. (BC) या अति.पि.व.(MBC) या आ.क.व. (EWS) या अनारक्षित (UR)

भूतपूर्व सैनिक			
रोस्टर संख्या	राज्य सेवा 5%	अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा 12.5%	चतुर्थ श्रेणी सेवा 15%
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			Ex.Serv.-1
8.		Ex.Serv.-1	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			Ex.Serv.-2
15.			
16.		Ex.Serv.-2	
17.			
18.			
19.			
20.	Ex.Serv.-1		Ex.Serv.-3
21.			
22.			
23.			
24.		Ex.Serv.-3	
25.			
26.			
27.			Ex.Serv.-4
28.			
29.			
30.			
31.			
32.		Ex.Serv.-4	

33.			
34.			Ex.Serv.-5
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.	Ex.Serv.-2	Ex.Serv.-5	Ex.Serv.-6
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			Ex.Serv.-7
48.		Ex.Serv.-6	
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			Ex.Serv.-8
55.			
56.		Ex.Serv.-7	
57.			
58.			
59.			
60.	Ex.Serv.-3		Ex.Serv.-9
61.			
62.			
63.			
64.		Ex.Serv.-8	
65.			
66.			
67.			Ex.Serv.-10
68.			
69.			
70.			
71.			
72.		Ex.Serv.-9	
73.			
74.			Ex.Serv.-11
75.			

76.			
77.			
78.			
79.			
80.	Ex.Serv.-4	Ex.Serv.-10	Ex.Serv.-12
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			Ex.Serv.-13
88.		Ex.Serv.-11	
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			Ex.Serv.-14
95.			
96.		Ex.Serv.-12	
97.			
98.			
99.			
100.	Ex.Serv.-5		Ex.Serv.-15

टिप्पणी–

1. वर्गः अ.जा (SC) या अ.ज.जा. (ST) या पि.व. (BC) या अति.पि.व.(MBC) या आ.क.व. (EWS) या अनारक्षित (UR) श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए6 अलग–अलग रोस्टर पंजिकाएं संधारित की जायेगी।
2- किसी भी भर्ती में चयनित भूतपूर्व सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के विरूद्ध दर्शाया जायेगा।